न्यायालय में श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

R-4188-II-16

दुखन लाल पिता स्व0 राममिलन महरा निवासी ग्राम चन्नौड़ी, तहसील जैतपुर जिला–शहडोल (म0प्र0)

बनाम

1. चुन्टी बाई पिता रामदास बारी निवासी ग्राम चाका तह0 पाली जिला उमरिया म0प्र0
2. राममिलन पिता रामदास बारी
3. राम प्रसाद पिता भइयालाल बारी

– दोनो निवासी ग्राम पाली तहसील–पाली जिला उमरिया म0प्र0

–– अनावेदकगण

द्वारा आज दि 9.12.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>**निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 के तहत् विरूद्ध श्रीमान् न्यायालय नायब तहसीलदार उप तहसील चन्नौड़ी के रा0प्र0क0 228/अ–6/2015–16 में आदेश पत्रिका दिनांक 26.10.2016 से परिवेदित होकर ।**</u>

मान्यवर,

आवेदक द्वारा निम्नलिखित तथ्य एवं आधार के अनुसार निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि–

निगरानी के तथ्य

1. यहकि प्रकरण का संक्षिप्त विवारण इस प्रकार है कि अनावेदकगणों द्वारा ग्राम चन्नौड़ी तहसील जैतपुर अन्तर्गत आराजी खसरा नंबर 995 रकवा 0.109हे., 996 रकवा 0.097हे., 1015 रकवा 0.146हे. कुल 03 किता, कुल रकवा 0.352हे. भूमि के भू स्वामी रामदास बारी को फौत बताकर बनावटी पिता बताकर संहिता की धारा 109, 110 के तहत् वारिसाना नामांतरण आवेदन पत्र श्रीमान् नायब तहसीलदार उप तह0

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4188-दो/2016 जिला शहडोल दुखनलाल विरूद्ध चुन्टीबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार उप तहसील चन्नौड़ी के प्रकरण क्रमांक 228/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26-10-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 09-12-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

25/01/19

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 25/01/19
सदस्य